

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०-20/2013 (खण्ड-1)

/क०, पटना, दिनांक

2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, मा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स मोन्सेन्ट्रो इण्डिया लि०,  
द्वारा-कृष्णा सीड्स, कृष्णा टावर,  
डॉ० कमाल अशरफ लेन,  
एस०पी०वर्मा रोड, पटना-01

विषय :- कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति संख्या-82-83 दिनांक 10.09.2013 के नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त प्रपत्र-VII, कोषागार चालान एवं अन्य मान्य कागजातों एवं सहायक कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, सर्वेलेन्स, मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 में निहित प्रावधानों एवं कीटनाशी (संशोधन) नियम 2015 के आलोक में प्रपत्र- VIII, में अंकित शर्तों के अधीन विषयांतर्गत अनुज्ञप्ति दिनांक 31.12.2019 तक की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक, /संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजा जाय।  
अनुलग्नक :- मूल अनुज्ञप्ति की प्रति।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।


ज्ञापांक

1393

/क०, पटना, दिनांक ..... 05-3-2018

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शाष्य) उपादान, बिहार, पटना/ जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
28.2.18  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।